

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र। 679400 ई०
- ii. जिला का वन क्षेत्र। 402640 ई०
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से 223 आगले 421,169 ई० 18 ई० 18 ई०
- iv. वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र। 216 ई० 18 ई०
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर 2005 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर

675.73 ई०

579.5420 ई०

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

प्रस्ताव निम्नलिखित हस्ताक्षरों द्वारा

दिनांक 24-7-2013

स्थान R. N. N.

उप प्रभागीय वनाधिकारी (नै०)
मैनीताल वन प्रभाग, मैनीताल।

24/7/13

वन क्षेत्राधिकारी

मन्तर वन क्षेत्र
मैनीताल वन प्रभाग, मैनीताल

हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी
मैनीताल वन प्रभाग
मैनीताल

सरकारी मोहर

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव : जनपद नैनीताल-कालाढूगी मोटर मार्ग के किमी 0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का ~~पुनः~~ निर्माण कार्य।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप : संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत : ₹ 0 6.90 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य : मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) : संलग्न है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है : मोटर मार्ग के निर्माण से लगभग 175 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है : नहीं।

क) परिवारों की संख्या २

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या २

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) २

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

: हाँ

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

: संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा

: संलग्न है।

अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख०.लो०नि०वि०
नैनीताल

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०.लो०नि०वि०
नैनीताल

अधिसासी अभियन्ता
प्रा०ख०.लो०नि०वि०
नैनीताल

भाग-11

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)
प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....60.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान :- जनपद नैनीताल-कालाढूगी मोटर मार्ग के किमी 0 20 से नलनी तक हल्का वाहन मार्ग का पुनः निर्माण कार्य।

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

ii) जिला

iii) वन प्रभाग

iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन

v) भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

vi) वन की कानूनी स्थिति

vii) हरियाली का घनत्व

viii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 - 8 मी0 पर परिगणना भी-संलग्न किए जाए

ix) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।

x) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी

xi) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबन्धित की जाए)

xii) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।

xiii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या

इत्तपक

नैनीताल

नैनीताल वन प्रभाग

0.1495 हे०

भारत वन ५६

क्षेत्र की इसी संख्या है

भू-संसाधन विभाग

वर्गीय के अन्तर्गत

नहीं

नहीं

नहीं

सेल 10

8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।

नहीं

9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हों/नहीं) यदि हों, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

सेल 10

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

1.00 हेक्टेयर में 55 वन प्रभागों का कार्य क्षेत्र के वन क्षेत्रों पर दस्तावेजित वन क्षेत्रों पर दस्तावेजित नहीं है।

— " —

— " —

— " —

— " —